न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गोण्डा।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–520 / 2026

CNR No. UPGD010015412026

अजय सिंह, आयु करीब 24 वर्ष, पुत्र राम नरायन सिंह, निवासी ग्राम गोपालपुर, मौजा चन्द्रभानपुर, थाना इटियाथोक, जिला गोण्डा।

.....आवेदक / अभियुक्त।

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश।

..... अभियोजन।

दिनांक–10.03.2026

1. यह प्रार्थना पत्र आवेदक / अभियुक्त **अजय सिंह** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–194 / 2025, अन्तर्गत धारा–305, 331(4), 317(2), 317(4), 112(2) भा0न्या0सं0, थाना खरगूपुर, जिला गोण्डा के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक / अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

3. वादी मुकदमा राम नरेश मौर्या द्वारा थाना खरगूपुर में दिनांक 20.08.2025 को समय 18:57 बजे दर्ज करायी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभिकथित है कि वह ग्राम पंचायत निधिनगर का निवासी है तथा उसकी पत्नी उक्त ग्राम पंचायत की प्रधान है और वह प्रधान प्रतिनिधि का कार्य देखता है। उसके ग्राम पंचायत भवन में दिनांक 19 / 20.08.2025 की रात चोर पीछे से आकर सी0सी0टी0वी0 कैमरे के तार को तोड़कर आगे के दरवाजे का ताला तोड़कर अन्दर प्रवेश करके सचिव कक्ष का ताला तोड़कर उसमें रखा एक अदद मॉनीटर, एक अदद की पैड, एक अदद माउस, एक अदद बैटरी, एक अदद बैकप मशीन, एक अदद साउण्ड छोटा, एक अदद डी0वी0आर0 चोरी कर ले गए हैं। गांव वालों ने सूचना दिया तो देखा कि अन्य सामान इधर–उधर बिखरा हुआ था।

4. आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि आवेदक / अभियुक्त को मुकदमा उपरोक्त में महज राजनैतिक रंजिश से हैरान परेशान करने हेतु फंसा दिया गया है। उसका कथित घटना से कोई वास्ता व सरोकार नही है और न ही कोई जानकारी है। उसके पास से कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उसके द्वारा कोई चोरी की घटना नहीं की गयी है और न ही कथित घटना में संलिप्तता है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उसके पास से कोई बरामदगी नहीं है बल्कि पुलिस द्वारा कथित बरामदगी फर्जी तरीके से दर्शित की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित व्यक्ति नहीं है। उपरोक्त समस्त कथनों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

5. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि आवेदक /

Digitally signed by DURG NARAIN SINGH
Date: 2026.03.12 16:43:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर ग्राम पंचायत भवन से कम्प्यूटर उपकरण एवं अन्य सामान चोरी करने एवं चोरी के सामान को बेचकर प्राप्त किये गये रूपए में से कुछ रूपये आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया है। उनके द्वारा यह भी कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का दो अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है। उक्त कथनों के आधार पर मामले की गंभीरता एवं अभियुक्त की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य बताया है।

6. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

7. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर ग्राम पंचायत भवन से कम्प्यूटर उपकरण एवं अन्य सामान चोरी करने एवं चोरी के सामान को बेचकर प्राप्त किये गये रूपए में से कुछ रूपए आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से बरामद होने एवं चोरी के सामानों का अभ्यसतः व्यापार करने का अभियोग लगाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के विरूद्ध दर्ज करायी गई है।

8. केस डायरी में संलग्न फर्द बरामदगी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से कुल 420/–रू0 बरामद होना कहा गया है। चोरी के किसी सामान की बरामदगी आवेदक/अभियुक्त के पास से दर्शित नहीं है। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी फर्द बरामदगी में अंकित नहीं है। सम्बन्धित थाने की आख्या में आवेदक/अभियुक्त का कोई सजायाबी आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं है। मामले में विवेचना उपरान्त आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। सह अभियुक्तगण भानु प्रकाश द्विवेदी उर्फ राजन एवं सुभाष तिवारी का जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.11.2025 को स्वीकार की जा चुकी है। वर्तमान अभियुक्त का मामला सह अभियुक्तगण से गुरूत्तर प्रकृति का नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 11.09.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार गोण्डा में निरूद्ध है।

9. अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परस्थितियों के आधार पर अपराध के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार पाया जाता है। आवेदक/अभियुक्त अजय सिंह द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **अजय सिंह** की ओर से मु0अ0सं0–194/2025, धारा–305, 331(4), 317(2), 317(4), 112(2) बी0एन0एस0, थाना खरगूपुर, जिला गोण्डा के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सं0–**520/2026 स्वीकार** किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0 50,000/– (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर दाखिल किये जाने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

अभियुक्त इस आशय की अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करे कि–

1. अभियुक्त विचारण के दौरान मामले से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण धमकी या बचन नहीं देगा और साक्ष्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।

2. अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा विचारण में प्रत्येक तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

3. अभियुक्त द्वारा जमानत पर छूटने के उपरान्त विचारण के दौरान किसी अन्य अपराध में संलिप्त नही होगा।

4. अभियुक्त द्वारा कोई भी स्थगन साक्ष्य की अवस्था पर प्रस्तुत नहीं किया जायेगा, जबकि गवाह उपस्थित हों और आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किये जाने के समय, बयान के समय, 351 बी0एन0एस0एस0 के बयान के समय और मामले की कार्यवाही प्रारम्भ होने के समय उपस्थित रहेगा।

ऐसा करने में यदि उसके द्वारा कोई अनियमितता बरती जाती है, तो सम्बन्धित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह जमानत शर्तों का दुरूपयोग मानते हुए उसकी जमानत निरस्त कर दे और विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाए।

दिनांक–10.03.2026

(दुर्ग नरायन सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
गोण्डा।
आई0डी0 नं0–यू0पी0 5863